न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **13/2018**
GCMS NO. : 2018/00028

–: प्रार्थीगण :–

1. जीवणराम पुत्र पोकरराम
जाति जाट निवासी ग्राम डिगरना तहसील
जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. रमजीराम पुत्र भोलाराम
2. इन्द्रादेवी पत्नि धर्माराम
3. इन्द्रादेवी पत्नि अरविन्द
4. मादाराम पुत्र रामाराम
जातियान– मेघवाल निवासीगण–
डिगरना, तहसील– जैतारण।
5. पुखाराम पुत्र आदूराम
6. दुर्गाराम पुत्र आदुराम फौत के
का0मु0
6/1. परमाराम पुत्र दुर्गाराम
6/2. अल्पूराम पुत्र दुर्गाराम
6/3. सुरेश पुत्र दुर्गाराम
6/4. नवीन पुत्र दुर्गाराम
जातियान– मेघवाल निवासीगण–
फालका, तहसील–जैतारण, जिला–
पाली राज.।
7. तहसीलदार जैतारण, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली (राज.)।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

तारीख रजू:. 18/01/2018

उपस्थित:– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, प्रार्थी।
2. राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 18/02/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का राजस्व मौजा– डिगरना पटवार हल्का डिगरना में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 498/3 रकबा 04–06 बीघा व खसरा नम्बर 504 रकबा 07–04 बीघा की भूमि आई हुई है। जो सम्पूर्ण आराजी अकेले प्रार्थी के हक हिस्से की है। जिसे प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद किया है। तब से लेकर आज दिन तक ही प्रार्थी का ही कब्जा व काश्त चला [illegible] नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की आराजी के पडौस में चिप[illegible] अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 13–14 बीघा व [illegible] 8 बीघा, खसरा नम्बर 503 रकबा 2–03 बीघा, [illegible] रकबा 10–14 बीघा, खसरा रा नम्बर 504/1 रकबा 3–12 बीघा की भूमि आई [illegible] है। उपरोक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थीगण रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर उनका कब्जा व काश्त है। नकल जमाबंदी व नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित आराजी खरीद करने के बाद मौके पर कब्जा प्राप्त किया एवं अपनी आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

काश्त करना शुरू कर दिया उसके बाद अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी से सीमा को लेकर विवाद करने लगे, तथा अप्रार्थीगण ने तो प्रार्थी की आराजी की माठ को भी तोड़ दिया एवं सीमा को लेकर विवाद करने लग गये जिसका प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को समझाया एवं नाप चौप करवाने बाबत भी निवेदन किया परन्तु उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की सीमा को लेकर विवाद करने लग गये। तब प्रार्थी ने तहसीलदार जैतारण को अपनी आराजी का नाप चौप करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। परन्तु तहसीलदार ने कहा कि– जब सभी पक्षकारान सहमत हो तो ही हम नाप चौप कर सकते है। जबकि अप्रार्थीगण नापचौप पर भी सहमत नहीं हो रहे है। एवं प्रार्थी की आराजी की माठ को तोड़कर धीरे धीरे प्रार्थी की जमीन को अपनी जमीन में मिलकार कब्जा करने को आमादा है। प्रार्थी द्वारा जब भी अपनी आराजी में काश्त करने के लिए अपने साधन लेकर खेत में जाता है तो अप्रार्थीगण बिना किसी वजह के विवाद करते है एवं प्रार्थी की आराजी के चारों तरफ लगी मेडबंदी को भी प्रार्थी ने दिनांक 01.01.2018 को बिखेर दिया एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच की माठ पर खड़े पेड़ पौधों को भी काट दिया एवं अप्रार्थीगण जबरन जानबुझकर आये दिन प्रार्थी की मेडबंदी को बिखेर देते है तथा हर तरह से आये दिन प्रार्थी की आराजी में सीमा के विवाद को लेकर के दखलदाजी व हस्तक्षेप करते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण जानबुझकर प्रार्थी की आराजी को हड़प करने की नियत से आये दिन वाद विवाद व दखलंदाजी कर सीमा विवाद करते है। यदि अप्रार्थीगण इस तरह प्राथी की मेडबंदी को हटाकर सीमा विवाद करेगे एवं मौके पर पत्थरगढी नहीं करने देगे तो प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने में कठिनाईयां एवं दिक्कते होगी। इस प्रकार से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मौके पर कराने सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं माठ कायम कराने का श्रीमान के समक्ष बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है। अप्रार्थीगण हल्का पटवारी से नाप चौप में भी सहमति नहीं हो रहे है एवं दिनांक 01.01.2018 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसकी आराजी से बेदखल करने एवं नाप चौप से सहमत नही होने एवं और माठ बिखेर देने की धमकीयां दी है तथा बार बार प्रार्थी की आराजी में हस्तक्षेप कर रहे है। इसलिए प्रार्थी की आराजी का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे एवं मौके पर प्रार्थी की आराजी की माठ कायम की जावे। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रार्थना पत्र माफिक न्याय शूल्क पर पेश है एवं श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य उजर बर वक्त बहस के निवेदन किये जायेगे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि– राजस्व मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 498/3 रकबा 4–06 बीघा व खसरा नम्बर 504 रकबा 7–04 बीघा की भूमि का मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर माठे कायम करवाई जाकर प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान करवाया जावे एवं अप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने की स्थिति में जाब्ता पुलिस इम्दाद के आदेश की पालना करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के व बार–बार आवाजें दिलाई जाने के बाद अनुपस्थित रहें। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। भू. अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा दिनांक 19.06.2018 को मौका फर्द रिपोर्ट पेश हुई, जो सा०मि० है। भू. अभिलेख निरीक्षक

सहायक ... पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निम्बोल ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम डिगरना के खसरा संख्या 498/3 रकबा 04-06 बीघा किस्म गै.मु. के खातेदार जीवणराम पुत्र पोकरराम जाटि जाट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं तथा वर्तमान में खातेदार जीवणराम का ही कब्जा काश्त है। उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी हेतू आदेश दिया जाना उचित है। बहस वकील प्रार्थी व सरकारी पैरोकार राज की सुनी गई एवं उस पर मनन किया।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी ग्राम डिगरना तहसील जैतारण के खसरा संख्या 498/3 रकबा 04-06 बीघा एवं खसरा संख्या 504 रकबा 07-04 बीघा का अभिलिखित खातेदार है। भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की रिपोर्ट दिनांक 19.06.2018 के अनुसार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी स्वयं कब्जा काश्त है तथा वादग्रस्त आराजी के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी हेतू आदेश किया जाना उचित होगा। अप्रार्थीगण की आराजी प्रार्थी की आराजी के साथ सीमा बनाती है। अतः उभयपक्ष के मध्य खेतों की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होनें से विवाद होनें से इनकार नहीं किया जा सकता। खातेदारों के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा-विवादों का निस्तारण धारा 111 में विहित प्रकिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम-डिगरना तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 498/3 रकबा 04-06 बीघा एवं खसरा संख्या 504 रकबा 07-04 बीघा एवं अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 497 रकबा 13-14 बीघा व खसरा संख्या 502 रकबा 5-18 बीघा, खसरा संख्या 503 रकबा 2-03 बीघा, खसरा संख्या 505 रकबा 10-14 बीघा, खसरा संख्या 504/1 रकबा 3-12 बीघा के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर [illegible] एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)